


## कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों/कार्यालयों में प्रधानाचार्य—उमावि व समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारियों का कॉलम संख्या—3 में अंकित अवधि का वेतन, कॉलम संख्या—4 में अंकित स्थान/ विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित कार्मिक शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या—3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।


क्रंस	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
1	2	3	4
1	श्रीमती प्रिया, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विधालय, पुनायता, पाली	जुलाई 2019 से अगस्त 2019	राउमावि गुडा रामसिंह, सोजत, पाली
2	श्री गोविन्द सहाय मीना, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विधालय करौली	जुलाई 2019 से अगस्त 2019	राउमावि रोधई, मण्डरायल, करौली
3	श्रीमती संगीता फगेडिया, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विधालय सीकर	जुलाई 2019 से अगस्त 2019	रा.सावित्री बा उमावि लक्ष्मणगढ, सीकर
4	श्री दयाराम यादव प्रधानाचार्य राउमावि छाजा की नांगल, सीकर	नवम्बर 2018	राउमावि जीलो, सीकर

  
 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
 बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/वेतन व्यवस्था/2019/ दिनांक:— 16 .09.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उप शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2)राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब—साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
- 4 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 5 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय—माध्यमिक
- 6 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 7 सम्बन्धित कार्मिक/ संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 8 रक्षित पत्रावली।

  
 संयुक्त निदेशक(कार्मिक)